न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-04, फिरोजाबाद।

एस०एस०टी० संख्या- 41/2021

CNR No. UPFD01000113-2021

सरकार बनाम राधेश्याम

अपराध सं०-78/2019
धारा- 135 विद्युत अधिनियम,
थाना-रसूलपुर,
जिला-फिरोजाबाद।

दिनांकः 14-03-2026

पत्रावली आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्युत विभाग के पैनल अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जुर्म स्वीकार करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अभियुक्त का बयान अंकित किया गया।

बयान अभियुक्त

नाम अभियुक्त.............. ... ...पिता का नाम........................ ... ...
आयु लगभग.................वर्ष, पेशा... ... .निवासी... ... ...
थाना-....................जिला-फिरोजाबाद।

प्रश्न-1 क्या दिनांक 14-02-2019 को समय 13.55 बजे, स्थान-मकान प्रतिवादी, थाना-रसूलपुर, जिला-फिरोजाबाद में विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता व उनके हमराहियान द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये गये विद्युत चोरी अभियान के अन्तर्गत आपके यहां विद्युत चेकिंग की गयी, तो आप कटिया डालकर विद्युत चोरी करते हुए पाये गये। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- ... ...

प्रश्न-2 क्या आप अपना जुर्म बिना किसी दबाव के स्वेच्छया से स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर- ... ...

प्रश्न-3 क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर- ... ...

दि० 14-03-2026

(साक्षी शर्मा)
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-4,
फिरोजाबाद।

आदेश

अभियुक्त राधेश्याम को उसके द्वारा स्वेच्छया की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा-135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत **रूपया 1,000/-(एक हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर अभियुक्त के विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दि० 14-03-2026

(साक्षी शर्मा)
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-4,
फिरोजाबाद।